

**राजस्थान सरकार**  
**कार्यालय एनालिस्ट कम प्रोग्रामर (उप निदेशक) सूचना प्रौद्योगिकी और**  
**संचार विभाग, झुंझुनूं**

क्रमांक : 3157-62

दिनांक : 27-07-17

**“बोली आमंत्रण सूचना-02”**

सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग राज. जयपुर के अनुसरण में ई गवर्नेन्स की विभिन्न परियोजनाओं के सूचना संचालन एव नियंत्रण हेतु वाहन किराये हेतु आरआईएसएल द्वारा आवंटित बजट के अनुसरण में कार्यालय एनालिस्ट कम प्रोग्रामर उपनिदेशक सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग झुंझुनूं के द्वारा उक्त कार्यों के सम्पादन/निरीक्षण के सुचारू संचालन हेतु (मासिक आधार पर 2000 किमी. प्रतिमाह परिचालन) एक टैक्सी वाहन किराये पर लेने हेतु दर अनुमोदन करने वास्ते वाहन मालिकों, फर्म, ट्रेवल एजेन्सी से दिनांक 04.08.2017 समय दोपहर 2.00 बजे तक सील बन्द दरें आमंत्रित की जाती है, जो उसी दिवस समय दोपहर 4.00 बजे खोली जायेगी।

शर्तें निम्न प्रकार रहेगीं :-

1. वाहन टैक्सी परमिट होना आवश्यक है तथा वाहन 6 वर्ष से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए।
2. वाहन विभाग की आवश्यकतानुसार किराये पर लिया जायेगा। किराया वास्तविक किमी. उपभोग अनुसार आनुपातिक दर से भुगतान किया जावेगा। वाहन मांग पर आदेशानुसार समय पर उपलब्ध करवाना होगा।
3. वाहन का कुल उपयोग माह में व्यय की अधिकतम सीमा 2000 किमी. एवं 23625/- रू. प्रतिमाह रहेगी व इसके अतिरिक्त परिचालन पर वित्त विभाग के निर्देशानुसार अतिरिक्त किराया 7.25 रू. प्रति किमी. की दर से देय होगा तथा माह में 2000 किमी. से कम परिचालन पर अनुमोदित दर के आधार पर आनुपातिक दर से भुगतान किया जायेगा। उक्त कम में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित परिचालन के परिपेक्ष्य में एक मुश्त मासिक दर कम प्राप्त होने की अवस्था में न्यूनतम दर को अनुमोदित किया जायेगा।
4. वाहन किराये पर लिये जाने हेतु वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ9(1)एफ.डी. 1(1)बजट/2012/जयपुर दिनांक 10.02.2012 एवं दिनांक 01.07.2013 तथा परिपत्र क्रमांक एफ9(1)एफ.डी.1(1)बजट/2015 जयपुर दिनांक 15.07.2015 में निर्धारित शर्तों की व समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों की पालना करनी होगी।
5. वाहन की दरों के साथ वाहन का प्रकार, मॉडल, रजिस्ट्रेशन, बीमा आदि की छाया प्रति संलग्न करनी अनिवार्य होगी।
6. प्रस्तुत दरों में समस्त प्रकार का व्यय (डीजल, ऑयल, वाहन चालक का भुगतान, मेन्टीनेन्स आदि) सम्मिलित होंगे। विभाग द्वारा अन्य किसी प्रकार का भुगतान नहीं किया जायेगा।
7. प्रस्तुत दरों में से नियमानुसार टीडीएस या अन्य तत्समय प्रचलित कर आदि की कटौती की जायेगी।
8. किसी भी प्रकार के अन्य कर की देयता की जिम्मेदारी वाहन मालिक की होगी।
9. वाहन रास्ते में खराब होने पर अनुबंधकर्ता को अविलम्ब स्वयं के व्यय पर अन्य वाहन उपलब्ध करना होगा।

